न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 134/2014 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2014/00112

1 बन्जार सिंह उर्फ सुन्दर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह उर्फ नादर सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए उप–तहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर।प्रभूराम पुत्र श्री मनीराम जाति बावरी निवासी 2 के. डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. काला सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती राणों बाई पुत्री श्री बचन सिंह पत्नी श्री सुरजीत सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
4. करनैल सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदीप सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
6. छिन्दोबाई पुत्री श्री बचन सिंह पत्नी श्री जनक सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
7. दयाल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जाति राय सिख निवासी 27–ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. अर्जुन सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।(मृत्तक)

8/1 बुधसिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुनसिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।

8/2 जंगीरसिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।

8/3 विमलाबाई पुत्री स्व. अर्जुनसिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।

8/4 बलबीरों पुत्री स्व. श्री अर्जुनसिंह पत्नी श्री जसवन्तसिंह जाति राय सिख निवासी गुट्टेयांवाली तहसील जिला फाजिल्का, पंजाब।

9. सुरजन सिह पुत्र श्री शेर सिंह जाति राय सिख निवासी धांधू तहसीली अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. ज्ञान सिंह पुत्र श्री शेर सिह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
11. पठाना सिंह पुत्र श्री शेर सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

12. बन्तो बाई पत्नी श्री जसवंत सिंह जाति जाति राय सिख निवासी 1 सी बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
13. कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
14. नानक सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
15. बिट्टू सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
16. मस्तान सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति राय सिख निवासी 1–सी–बड़ी तहसीली व जिला श्रीगंगानगर।
17. पंजा बाई पुत्री श्री शेर सिंह पत्नी श्री भगवान सिह जाति राय सिख निवासी उड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. महेन्द्रो बाई पुत्री श्री शेर सिहं पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति राय सिख निवासी तूतावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का राज्य पंजाब।
19. ज्ञानों बाई पुत्री श्री शेर सिह पत्नी श्री सुरजीत सिह जाति राय सिख निवासी मोहन
20. सीतो बाई पुत्री श्री माया बाई पत्नी श्री शिंगारा सिंह जाति राय सिंह निवासी मौजदीन तहसील करनाल (हरियाणा)
21. करनैल सिंह पुत्र श्री माया बाई एवं पठाना सिंह जाति राय सिख निवासी आहलूपुर तहसील मानसा (पंजाब)

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री नायबसिंह — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 7 ता 19

निर्णय

दिनांक 27.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 1–सी–बड़ी मुरब्बा नंबर 36 के किला नंबर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि शेरसिंह पुत्र बूटा सिंह के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि पुनर्वास विभाग, भारत सरकार से नॉन–क्लेमेण्ट जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी। शेर सिंह पुत्र बूटा सिंह का देहान्त दिनांक 30.03.1992 को हो चुका है। शेर सिंह पुत्र बूटा सिंह के देहान्त के पश्चात कालासिंह पुत्र श्री बचन सिंह ने एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार हिन्दूमलकोट में विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलांट वंजारसिंह ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई की शेर सिंह पुत्र बूटा सिंह की मृत्यु उपरान्त वारिसान अंकित समाचारपत्र में 10 वारिसों के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने का लिखा है जो कि गलत हैं। इनमे 2 वारिस क्रमशः प्रथम वंजार सिह उर्फ सुन्दरसिंह व द्वितीय माया बाई

किये गये है। उक्त आपत्ति के आधार पर नामांतरकरण दर्ज नहीं किए जाने का निवेदन किया। उक्त पत्रावली विवादित होने के कारण उक्त प्रकरण को धारा 136(2) एल आर एक्ट दर्ज की गई। उक्त दर्ज प्रकरण में उप-तहसीलदार हिन्दूमलकोट ने अपने निर्णय में वंजार सिंह उर्फ सुन्दर सिंह को मृतक शेर सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिसों में शामिल नहीं माना और शेर सिंह पुत्र बूटा सिंह के पुत्र/पुत्रीयों के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। उप-तहसीलदार हिन्दूमलकोट के उक्त आदेश दिनांक 15.07.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पुनर्वास विभाग, भारत सरकार से नॉन-क्लेमेण्ट जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी। जिसमें निम्नलिखित जीवों अर्थात् शेर सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह स्वयं, हरदित्या बाई (पत्नी), अपीलांट वंजार सिंह(पुत्र), बचन सिंह(पुत्र), दयाल सिंह(पुत्र), अर्जुन सिंह(पुत्र), एवं माया बाई(पुत्री) कुल 7 नाम दर्शाते हुए जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी। अपीलांट वंजार सिंह उर्फ सुन्दर सिंह के पिता नादर सिंह का देहान्त भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान में हो गया था। उस वक्त अपीलाण्ट नाबालिग दूध पीता बच्चा था। अपीलांट की माता का भी देहान्त हो गया था। श्री शेर सिंह अपीलांट का चाचा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी हरदित्ता बाई, अपीलांट वंजीर सिंह, बचन सिंह, दयाल सिंह, अर्जुन सिंह व माया बाई सदस्य थे, क्योकि शेरसिंह ने अपीलांट को बतौर पुत्र रखा और अपने परिवार के सदस्य के रूप में ही माना। इस प्राकर शेर सिंह की कृषि भूमि में अपीलांट का 1/7 हिस्सा बतौर वारिस बनता है। ये समस्त तथ्य आवंटन कार्ड से भी साबित है, जो वर्ष 1954 में जारी किया गया है। भारत-पाकिस्तान का विभाजन वर्ष 1947 में हुआ एवं वर्ष 1954 में रिफयूजी कार्ड में जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज है। अपीलांट अपने हिस्से 1/7 पर उस उक्त से आज दिनांक तक काबिज चला आ रहा हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उप-तहसीलदार हिन्दूमलकोट का निर्णय दिनांक 15.07.2014 निरस्त किया जावे।

3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट वंजार सिंह उर्फ सुन्दर सिंह ने शेरसिंह को अपना चाचा बताया है और अपने पिता का नाम नादर सिंह बताया है। अपीलांट के माता पिता के देहान्त के पश्चात उसके चाचा शेर सिंह द्वारा पालन-पोषण किया गया। अपीलांट अपने आप को शेर सिंह का वारिस घोषित करवाना चाहता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार खातेदार की मृत्यु पर उसकी जायदाद उसके प्रथम श्रेणी के वारिसों के नाम दर्ज होती है। शेर सिंह की पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसके जायज पुत्र-पुत्रीयां प्रथम-श्रेणी के दायरे में आते है। अपीलांट वंजार सिंह उर्फ सुन्दर सिंह खातेदार शेरसिंह का पुत्र न होकर खातेदार शेरसिंह के भाई नादर सिंह का पुत्र है। अपीलांट शेर सिंह के प्रथम-श्रेणी के दायरें में ही आता हैं। अतः अपीलांट को खातेदार शेरसिंह के वारिसों में शामिल नही किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपीलांट बंजार सिंह उर्फ सुन्दर सिंह खातेदार शेरसिंह का पुत्र न होकर खातेदार शेरसिंह के भाई नादर सिंह का पुत्र है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट को खातेदार शेरसिंह के प्रथम–श्रेणी के वारिसों में शामिल नहीं किया जा सकता है, और ना ही अपीलांट ने खातेदार शेरसिंह का दत्तक पुत्र होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिन्दूमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2014 उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2014 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर